

भवन/भूखण्ड की कीमत रू० :
अतिरिक्त भूमि रू० :
भवन/भूखण्ड की कुल कीमत रू० :
फ्री-होल्ड/लीज रेन्ट शुल्क :
कुल योग रू० :
जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित कीमत रू०- :
e-Stamp No :
e-Stamp Rs :

विक्रय विलेख

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भवन/भूखण्ड का स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु निबन्धन दिनांक को जिसको एतदपश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है तथा जिसको एतदपश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया है।

और चूँकि इस विलेख की अनुसूची में निर्दिष्ट भवन/भूखण्ड द्वितीय को आवंटित हुआ है, आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट भवन/भूखण्ड का स्वामित्व रू०-/- शब्दों में (.....) में द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित किया जाना है। और चूँकि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को अनुसूची में वर्णित, योजना के अन्तर्गतभवन/भूखण्ड सं०-..... का स्वामित्व आवासीय हेतु दिया जाना स्वीकार कर लिया गया है। वर्तमान में उक्त वर्णित भवन/भूखण्ड का आवासीय उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 सपठित एवं शासनादेश संख्या 1639/9-अ-1-95-80मिस/86 दिनांक-10 मई 1995 तथा शासनादेश संख्या 1778/9-अ-95-60मिस/86 दिनांक 24.05.1995 के अनुसरण में निष्पादित यह विलेख साक्षी कि अनुसूची में वर्णित का स्वामित्व द्वितीय पक्ष के पक्ष में घोषित किये जाने हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष का रू०-/-दिनांक 0. ई. तक किये गये भुगतान जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष एतद्द्वारा स्वीकार करता है, के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे रखकर प्रथम वह भवन/भूखण्ड उसकी सीमाओं सहित जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और स्पष्टीकरण के लिये उस विलेख से संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है फ्रीहोल्ड घोषित करते हैं और इस पर द्वितीय पक्ष को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं।

अतएव द्वितीय पक्ष उसके दावाधिकारी तथा समानुदेशिती सदा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे। इस विलेख के निष्पादन की दिनांक से इसकी अनुसूची में वर्णित भवन/भूखण्ड पर द्वितीय पक्ष को निजी स्वामित्व प्राप्त हो जायेगा, और उसे स्वेच्छा से प्रभावी विधि नियमों एवं विनियमों के अधीन किसी भी प्रकार हस्तान्तरित कर सकेगा। भवन/भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन/भूखण्ड के सम्बन्ध में इस देय करो का अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करो का भुगतान करेगा। इस विलेख से उत्पन्न एवं इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर दोनो पक्षों या उनके दावेदारों के बीच कभी भी कोई विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न उत्पन्न होने पर उसे राज्य सरकार के आवास विकास विभाग को संदर्भित किया जायेगा जिस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा तथा दोनो पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इस विलेख के निष्पादिन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाला सम्पूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में जब तक की उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगो से असंगत न हो प्रथम पक्ष उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितयों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके दावाधिकारियों, निष्पादको, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों समनुदेशितयों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा। इस विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उक्त तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है।

चूंकि प्रथम पक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति की बावत् उपरोक्त धनराशि बसूल कर ली गयी है, किन्तु यदि भविष्य में किसी भी न्यायालय द्वारा प्रतिकर की धनराशि में वृद्धि की जाती है अथवा अन्य कारणों, जिसमें कि कोई त्रुटि भी सम्मिलित है, से वृद्धि होती है तो प्रथम पक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वितीय पक्ष क्रेता से किसी भी समय इस विलेख के निष्पादित होने के उपरान्त भी बसूल करने का हकदार रहेगा और यदि द्वितीय पक्ष क्रेता इसे जमा नहीं करते हैं तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-40 के तहत बसूल करने के अधिकारी होंगे।

इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत् है-

..... योजना के अन्तर्गत

भवन/भूखण्ड सं०-..... जिसका आवंटन दिनांक - को हुआ है,
तथा रकबा वर्ग मी० है अथवा आच्छादित क्षेत्रफल वर्ग मी० है।

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

पूरब -
पश्चिम -
उत्तर -
दक्षिण -

फ्रीहोल्ड के लिये द्वितीय पक्ष ने सम्पूर्ण धनराशि रूपये-...../- दिनांक -
..... को प्राधिकरण कोष में जमा कर दी है। भूमि का प्रतिकर बढ़ता है, तो द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगा स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान का सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष क्रेता का होगा तथा प्राधिकरण का कोई दायित्व नहीं होगा।

नोट :- प्रारूप संख्या- के कोड संख्या- के पृष्ठ संख्या-
के अनुसार स्टाम्प अदा किया गया है।

श्री.....
पुत्र श्री.....
निवासी.....

श्री.....
पुत्र श्री.....
निवासी.....

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
से तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

नाम :-

पिता/पुत्र :-

निवासी-